के सिंगल मैट्रो ट्रांसमीटर पर रिले किया जाता है। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास स्थित मैट्रो ट्रांसमीटर उस समय क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रसारण किया जाना

2337. **श्री दिग्विजय सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रसारण के क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की चुनौती से निपटने के उपायों का पता लगाने एवं उनके कार्यान्वयन का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कार्यक्रम कर्मचारी संघ का एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय लिये गये?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) और (ख) निजी क्षेत्र निर्माता आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए किसी प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करने की बजाय इनके साथ अनुकूल और उत्पादक संबंध बनाए रखते हैं।

(ग) सम्मेलन में पारित संकल्प मुख्य रूप से कार्मिक एवं अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित हैं।

फिल्म सैंसर बोर्ड

2338. **श्री दिग्विजय सिंह:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान" में "आखिर फिल्म सैंसर बोर्ड की प्रासंगितता क्या है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इस विषय में किस प्रकार के नियमों और विनियमों का पालन करना चाहती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन केवल केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र वाली फिल्मों को दिखाना जारी रखेगा। अन्य कार्यक्रमों के मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें सरकार द्वारा तैयार की गई प्रसारण संहिता के प्रावधान के अनुसार किसी प्रकार की अवांछनीय हिंसा या अश्लीलता न हो, यह उनका पूर्वावलोकन करना भी जारी रखेगा। जहां तक केबल टेलीविजन नेटवर्कों का संबंध है, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम-6 में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम संहिता में यह व्यवस्था है कि केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो अन्य बातों के साथ-साथ चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विरुद्ध हो। तथापि यह संहिता विदेशी उपग्रह चैनलों के उन कार्यक्रमों पर लागू नहीं होती जिन्हें किसी विनिर्दिष्ट गैजेटों या डिकोडर का उपयोग किए बिना प्राप्त किया जा सकता है।

Licence to operate Radio/TV Centres

2339. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large number of interested parties have approached Government for licence to operate Radio and Television Centres in India; and

(b) if so, whether Government have decided on any norms on issuance of licences to the private operators?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

Use of Computers

2340. SHRI V. GOPALSAMY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of computers both hard and soft ware purchased by the departments of Information and Broadcasting during the last three years;

(b) what was the amount of funds used in each year for the purpose year-wise and the respective number of computers purchased;

(c) the details of the offices where each computers were installed, date of installation, the officer concerned in charge of the computer and how much use was made of each computer in each year in each office; and

(d) whether it is a fact that almost all computers are presently lying unused and unattended?